



कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक—09.10.2024

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल व श्रीमान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री प्रमोद कुमार के निर्देशन व ममता रानी अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के कुशल पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति" का 90 दिवसीय विशेष अभियान {(फेज-05)(शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस—03 अक्टूबर, 2024 से प्रारम्भ)} कमिशनरेट वाराणसी पुलिस द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ चलाया जा रहा है।

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप पर अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कमिशनरेट वाराणसी पुलिस द्वारा "मिशन शक्ति" (फेज-5.0) के 90 दिवसीय विशेष अभियान के अन्तर्गत 09 आपरेशन का संचालन किया जा रहा है।

- आपरेशन गरुड़—** महिलाओं एवं बच्चियों से सम्बन्धित साइबर अपराध के पंजीकृत अभियोगों एवं प्रार्थना पत्रों का शत प्रतिशत निस्तारण करना।
- आपरेशन शील्ड—** एसिड की अवैध बिक्री एवं वितरण के विरुद्ध अभियान।
- आपरेशन डिस्ट्राय—** अश्लील सीडी/डीवीडी/पुस्तकें/साहित्य/सामग्री आदि की चेकिंग एवं बरामदगी/जब्तीकरण।
- आपरेशन बचपन—** बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह के विरुद्ध प्रदेश स्तरीय अभियान चलाकर बालिकाओं का अवमुक्त करना।
- आपरेशन खोज—** गुमशुदा बच्चों/बालिकाओं हेतु रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन, बाल गृहों छालों द्वारा खुले संचालित आश्रय गृहों आदि का भौतिक निरीक्षण करना एवं बरामद बच्चों को पुनर्वासित करना।
- आपरेशन मजनू—** महिला स्कूल/कालेजों के आस-पास तथा वल्नरेबल स्पॉट्स अवांछनीय तत्वों व मनचलों के विरुद्ध अभियान।
- आपरेशन नशा मुक्ति—** शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हॉटस्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- आपरेशन रक्षा—** अवैध स्पा सेन्टरों, मसाज पार्लरों/होटलों में मानव तस्करी कर लाई गयी महिलाओं/बालिकाओं को रेस्क्यू करना एवं उन्हे पुनर्वासित करते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- आपरेशन ईगल—** महिला सम्बन्धी अपराधों में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों तथा जेल से बाहर आये अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही।

❖ **कमिशनरेट वाराणसी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति (फेज-05) अभियान के अन्तर्गत दिनांक—09.10.2024 को आयोजित कार्यक्रम/जागरूकता अभियान का विवरण—**

➤ कमिशनरेट वाराणसी के प्रमुख चौराहों पर लगे बिलबोर्ड पर नगर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से महिलाओं/बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा एवं जागरूकता पर आधारित लघु फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है।

- समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्ष ,कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा मिशन शक्ति, एण्टी रोमियों की टीमों के माध्यम से विभिन्न शिक्षण संस्थानों, रोडवेज बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए जागरुक किया जा रहा है तथा साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सावधानियां बरतने, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप आदि सोशल साइट्स के माध्यम से होने वाले अपराध एवं सिम कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड के बारे में जानकारी देते हुए जागरुक किया जा रहा है।
- कमिश्नरेट वाराणसी अन्तर्गत स्थापित माँ दुर्गा पंडालों में मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो टीमों जाकर महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा व मिशन शक्ति(फेज-5.0)अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए जागरुक किया जा रहा है।
- कमिश्नरेट वाराणसी की समस्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत/वार्ड में जन-चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति(फेज-5.0) अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- वन स्टॉप सेंटर पर कुल 06 महिलाओं को भेजा गया, जिसमें से 03 महिलाओं की काउंसलिंग कर उनके घर भेजा गया तथा 02 महिलाओं को अस्थाई आश्रय प्रदान किया गया।
- फर्जी इंस्टाग्राम आई०डी० बनाकर अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी पर मु०अ०सं० 471/2024 धारा 66सी आई०टी० एकट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- महिला सहायता प्रकोष्ठ कमिश्नरेट वाराणसी में पति-पत्नी से सम्बन्धित वैवाहिक विवाद के कुल 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें 06 प्रार्थना-पत्र डी०एल०एस०ए० प्रेषित किया गया एवं 03 प्रकरण में सुलह-समझौता कराते हुए पति-पत्नी को सकुशल घर विदा किया गया।
- थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी में महिला को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 170 बी०एन०एस०एस० की कार्यवाही की गयी।
- सरायसूजन बजरडीहा भेलूपुर पर एक मनचला/शोहदों द्वारा रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं पर छीटा कशी एवं अश्लील इशारे कर रहा था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुचकर थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-०४१४/2024 धारा 296 बी०एन०एस० पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- महिला स्कूल/कालेजों के आस पास चिन्हित किये गये कुल 12 वल्नरेबल स्पॉट्स में 50 अवांछनिय तत्वों व मनचलों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही की गयी।

(सोशल मीडिया सेल)
अपर पुलिस उपायुक्त,
महिला अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।